यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–69/2018 प्रार्थना पत्र
लाल पिता देबी गूजर, उम्र बालिग निवासी खांखरी खेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
जस्थान)

—————प्रार्थी

बनाम

ीमति गंगा बाई पत्नि दीपा गूजर, उम्र बालिग निवासी खांखरी खेड़ा तहसील मांडल जिलाभीलवाड़ा
ी सोहन लाल पिता दीपा गूजर, उम्र बालिग निवासी चतरभुज पुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
ी उदा पिता देवा जाट, उम्र बालिग निवासी चतरभुज पुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–27.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुन्दली पटवार गुन्दली. तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 834 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, 1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। ण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा ाहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने वं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः ा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.3.2018 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3 व 4 के सम्मन बाद तामिल े। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 व 4 उपस्थित नही। विपक्षीगण , 2, 3 व 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं कारण दिनांक 24.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा ी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते मा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के ार किया जाकर ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली. तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ी नम्बर 834 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, 834/1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पांसल को 800/–रूपये (आठ सौ रूपये) कमिश्नर फीस र कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस मा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये हसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner